न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना—कुचामन
पीठासीन अधिकारी— डॉ. महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

अपील संख्या— 36 / 2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024 / 62

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मदनलाल पुत्र श्री मगनाराम, जाति हरिजन, निवासी रामसिया, तहसील मकराना, जिला डीडवाना—कुचामन।		1. तहसीलदार मकराना 2. पतासी पत्नी प्रमापराम 3. दयालाराम पुत्र प्रतापराम 4. सेवाराम पुत्र प्रभुराम 5. पोकरराम पुत्र प्रभुराम समस्त जाति रेगर, निवासीगण रामसिया तहसील मकराना।

उपस्थितः—
1. श्री नेमी चन्द शर्मा वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध निर्णय प्रकरण संख्या 01 / 2022 निर्णय दिनांक 22.06.2023 बअनुवाद प्रार्थीगण पतासी वगैरह बनाम अप्रार्थी मदनलाल में पीठासीन अधिकारी कुलदीप भाटी तहसीलदार, मकराना के आदेश को अपास्त करने बाबत्।

—:निर्णयः—

दिनांक : 01.07.2025

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः—

प्रार्थीगण पतासी पत्नी प्रतापराम, दयालराम पुत्र प्रतापराम, सेवाराम पुत्र प्रभूराम एवं पोकरराम पुत्र प्रभूराम सभी जाति रेगर निवासीगण रामसिया तहसील मकराना जिला डीडवाना—कुचामन द्वारा अप्रार्थी मदनलाल पुत्र मगनाराम जाति हरिजन निवासी रामसिया तहसील मकराना के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत दिनांक 09.09.2021 को जरिये अधिवक्ता श्री कल्याणसिंह की ओर से एक प्रार्थना—पत्र प्रस्तु किया, जिसके अनुसार प्रार्थीगण खसरा नम्बर 167 / 1 रकबा 2.7276 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार है। ग्राम रामसिया आबादी क्षेत्र से एक कदमी रास्ता स्थित है, जो आबादी से खसरा नम्बर 166 / 1, 165, 164 में से होकर खसरा नम्बर 167 / 1, 389 / 168, 388 / 168, 371, 166 के बीच होकर गुजरता है आगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:34:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना—कुचामन

डोबड़ी कलां से रामसिया की तरफ आने वाले कटाणी रास्ता से मिलता है। यह रास्ता सैकड़ों वर्षों से चालू है, सभी खातेदारों रास्ते को छोड़कर खन्दक लगाकर रास्ता छोड़ा हुआ है। कदीमी रास्ता 15 फुट चौड़ा रामसिया से डोबड़ीकलां के कांकड़ तक है। प्रार्थीगण के एक मात्र रास्ता है, इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत में पहूंचते है, दादा पिता सभी इसी रास्ते से खेत खसरा नम्बर 167/1 में आते जाते रहे है। मवेशी, टैक्टर गाड़ी सभी इसी रास्ते से गुजरते है। प्रार्थीगण के अलावा भी अनेक खातेदार काश्तकार एवम् लोग इस रास्ते को काम में लेते है, यह कदीमी रास्ता है तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण करीब 70 साल से आवागमन के काम में लेते आये है। करीब एक माह पहले अप्रार्थी ने आबादी से निकलते ही खसरा नम्बर 166 में रास्ता बन्द कर अवरूद्ध कर दिया है, जिससे प्रार्थीगण को आवागमन में भारी दिक्कत आ रही है, खेत में आना–जाना बन्द है, जिससे हमारे मवेशी चराने तथा खेतीबाड़ी में भारी परेशानी हो रखी है। ग्राम रामसिया से डोबड़ीकलां के कटाणी मार्ग तक वर्णित रास्ते का सुखाधिकार घोषित कर रास्ता खुलवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दौराने अपील प्रार्थी पक्ष (प्रत्यार्थी) का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2022 को अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया, जो पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2022 को पुनः नम्बर पर लिया गया।

अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.01.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसका प्रत्यर्थी पक्ष द्वार जवाब दिया गया, उक्त आवेदन के साथ मूल प्रकरण का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही किये ही सम्पूर्ण पत्रावली का निर्णय दिनांक 22.06.2023 को कर दिया। जिस निर्णय के विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

—:: अपील के आधार ::—

1. अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय करते वक्त कानूनी व वाक्याती भूल की है। जिससे यह अपील स्वीकार होने योग्य है।
2. प्रत्यर्थी/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र 251 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की खसरा नम्बर 167/1 रकबा 2.7267 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है। ग्राम रामसिया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:34:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

आबादी से एक कटाणी रास्ता खसरा सं0 166/1, 165, 164 में से होकर खसरा नम्बर 167/1, 389/168, 388/168, 311/168 के बीच होकर गुजरता है। जो आगे डोबडीकंला से रामसिया जाने वाले कटाणी रास्ता से मिलता है। जिससे स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष ने अपीलार्थीगण की एकल खातेदारी की भूमि खसरा सं0 166 रकबा 1.4892 हैक्टेयर में से रास्ता नहीं मांगने के पश्चात भी अधिनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

3. अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश क्रंमाक/राजस्व/कोर्ट/2022/458 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा पटवारी हल्का रामसिया से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का रामसिया ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 166 में मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं है तथा खसरा नम्बर 167/1 में उत्तरी पूर्वी कोने से शुरू होकर खसरा नं0 391/168 तक रास्ता मौके पर चालू है, जिस पर भी अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है।

4. खसरा नम्बर 166/1 की भूमि में अपीलार्थी मदनलाल का राजस्व रेकर्ड 1/5 हिस्सा दर्ज है, मगर प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने उक्त खसरान के समस्त खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जो भारी विधि की अवमानना है। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

5. मौके पर चालू रास्ता होने पर ही विधि अनुसार सुखाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। जबकि प्रत्यर्थी ने अपने आवेदन में स्पष्ट उल्लेख लिखित में किया है कि खसरा नं0 166 में रास्ता बन्द या अवरूद्ध कर दिया है। जिसकी तारीख पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में भी है। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष को कोई सुखाधिकार प्राप्त नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

6. अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 के आवेदन को आधार मानकर आलौच्य आदेश पारित कर [illegible] जबकि अधिनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि अपीलार्थी का जवाब [illegible] दोनों पक्षों की साक्ष्य सफाई लेकर ही न्यायोचित आदेश पारित करता [illegible] कि इस पत्रावली में नहीं किया है, जिससे भी यह अपील स्वीकार होने [illegible] है।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:34:50 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपील अपीलार्थी पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 22.06.2023 को अपास्त करने का आदेश प्रदान करें।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि ग्राम रामसिया के खसरा सं0 166 में कदीमी रास्ता पहुंचता है। मौके पर कंटीली झाडिया बाड लगाकर बन्द कर रखा है। उक्त बन्द रास्ते को तहसीलदार मकराना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.06.2023 के द्वारा खुलवाने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश विधिसम्मत होने के कारण इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **01.07.2025** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

01.07.2025
(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, **IAS**)
जिला कलक्टर
डीडवाना-कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:34:50 IST
Reason: SelfAttested